किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act   अनवान– सूर्यप्रकाश बनाम तहसीलदार सिवाना मु.नं. 51/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। सरकारी भूमि खसरा संख्या 627 प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे विप्रार्थी प्रार्थी के खेत की माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गूंगरोट तहसील सिवाना के खसरा संख्या 643/627 व 713/627 रकबा क्रमशः 1.6187 व 2.4281 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.06.12 11:15:21 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2024/854 दिनांक : 30-05-2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

सूर्यप्रकाश पुत्र चन्द्रभान अरोडा **तहसीलदार सिवाना**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 51/2023 दिनांक :– 27.05.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम गूंगरोट तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 643/627 व 713/627 रकबा क्रमशः 1.6187 व 2.4281 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/–प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)

क्रमांकः वाचक /2024/855-858 दिनांक : 30-05-2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी गोलिया को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. सूर्यप्रकाश अरोडा पुत्र चन्द्रभान अरोडा, निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)